प्रेषक

आलोक रंजन
मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- 23 अप्रैल, 2015**

विषय- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत कार्यरत जनपदीय परियोजना क्रियान्वयन ईकाइयों में तैनात अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अद्योहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक-10.03.2015 को आहूत बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में शिथिलता बरतने/अनियमितितायें करने सम्बन्धी तथ्य संज्ञान में आने पर सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही का निर्धारण एक समिति द्वारा किया जायेगा। उक्त समिति का स्वरूप निम्नवत् होगा:-

(1)- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 - अध्यक्ष ।

(2)- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन - सदस्य सचिव।

(3)- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन - सदस्य।

(4)- प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 शासन - सदस्य।

2- उक्त समिति द्वारा अपचारी अधिकारियों के विरूद्ध उपलब्ध तथ्यों का परीक्षण कर यथोचित कार्यवाही की संस्तुति की जायेगी और उक्त संस्तुति के अनुसार समयबद्ध रूप से कार्यवाही अपचारी अधिकारियों के मूल विभाग यथा-लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी। समिति द्वारा नियमित रूप से ग्राम्य विकास विभाग के शासनादेश संख्या-1084/अड़तीस-4-2004, दिनांक-09.06.2004 के क्रियान्वयन की समीक्षा भी की जायेगी।

भवदीय

आलोक रंजन
मुख्य सचिव

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 34/2015/पी-412 (1) /अड़तीस-9-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1)- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
(2)- प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
(3)- स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
(4)- स्टॉफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
(5)- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
(6)- प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(7)- मुख्य अभियन्ता (पीएमजीएसवाई) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(8)- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(9)- मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
(10)- गार्डबुक।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।